अनुबंध I
वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – 'लेखा पर टिप्पणियां'

1. सामान्य

इन निदेशों में सूचीबद्ध की गई मदों को एकल स्तरीय वित्तीय विवरण और सीएफ़एस, दोनों में "लेखा पर टिप्पणी" में प्रकट किया जाएगा। एआईएफ़आई, जहां महत्वपूर्ण हो, अतिरिक्त प्रकटीकरण करेंगे। जब तक विनिर्दिष्ट रूप से न कहा गया हो, अनुषंगियों से संबंधित विवेकपूर्ण मदों को लेखा पर टिप्पणी में प्रकटीकरण के लिए समेकित किया जाएगा, जैसा कि उनकी लेखा बही/ वित्तीय विवरण/ लेखा पर टिप्पणी में दर्शाया गया हो (उन्हें एआईएफ़आई पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार संरेखित करने के लिए किसी समायोजन के बिना)।

2. प्रस्तुतीकरण

"महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ" का सार-संक्षेप और "लेखे पर टिप्पणी" अलग से दर्शाई जाएगी।

3. प्रकटीकरण अपेक्षाएं

तुलन पत्र की विस्तृत अनुसूचियों के अतिरिक्त, एआईएफ़आई से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित जानकारी "लेखे पर टिप्पणी" में प्रस्तुत करें।

3.1 पूंजी पर्याप्तता[2]

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	*ब्योरे*	*वर्तमान वर्ष*	*पूर्ववर्ती वर्ष*
i)	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौतियों को छोड़कर, यदि कोई हो)		
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी		
iii)	टियर 1 पूंजी (i+ii)		
iv)	टियर 2 पूंजी		
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)		
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)		
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)		
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्लयूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)		
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)		

[2] एआईएफ़आई पर लागू रिज़र्व बैंक के निदेशों का प्रयोग करते हुए सीएफ़एस के प्रयोजन से अनुषंगियों की जोखिम भारित आस्तियों की काल्पनिक पुनर्गणना की जाएगी।

क्र.सं.	ब्योरे	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
x)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)		
xi)	लीवरेज अनुपात		
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत ए) भारत सरकार बी) अन्य वाणिज्यिक बैंक सी) अन्य वित्तीय संस्थान (अन्य एआईएफ़आई सहित)		
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि		
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से साधन के प्रकार के अनुसार सूची[3] दें (सतत गैर-संचयी अधिमान्य शेयर, ऋण पूंजी लिखत, आदि)। एआईएफआई को यह भी निर्दिष्ट करना होगा कि लिखत बासेल I अथवा बासेल III के अनुरूप हैं अथवा नहीं।		
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से क) लिखत के प्रकार के अनुसार सूची[4] दें (सतत संचयी/मोचनीय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर, ऋण पूंजी लिखत, आदि)। एआईएफआई को यह भी निर्दिष्ट करना होगा कि लिखत बासेल I अथवा बासेल III के अनुरूप हैं अथवा नहीं।		

[3] उदाहरण: एआईएफआई द्वारा निम्नानुसार प्रकटीकरण किया जा सकता है:

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि:	###	###
ए) बासेल III अनुपालक सतत गैर-संचयी अधिमान्य शेयर। बी) बासेल III अनुपालक सतत ऋण उपकरण सी) …….	###	###

[4] उदाहरण: एआईएफआई द्वारा निम्नानुसार प्रकटीकरण किया जा सकता है:

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 2 पूंजी की राशि:	###	###
ए) बासेल III अनुपालक सतत गैर-संचयी अधिमान्य शेयर। बी) बासेल III अनुपालक सतत ऋण उपकरण सी) …….	###	###

3.2 मुक्त आरक्षित निधियां और प्रावधान

3.2.1 मानक आस्तियों संबंधी प्रावधान

(राशि करोड़ ₹ में)

ब्योरे	*वर्तमान वर्ष*	*पूर्ववर्ती वर्ष*
मानक आस्तियों संबंधी प्रावधान		

3.2.2 अस्थिर प्रावधान

(राशि करोड़ ₹ में)

ब्योरे	*वर्तमान वर्ष*	*पूर्ववर्ती वर्ष*
(क) अस्थिर प्रावधान खाते में आरंभिक शेष (ख) लेखांकन वर्ष में किए गए अस्थिर प्रावधान की मात्रा (ग) लेखांकन वर्ष में आहरण द्वारा कमी की राशि (घ) अस्थिर प्रावधान खाते में इति शेष		

नोट: लेखांकन वर्ष में की गई आहरण द्वारा कमी के प्रयोजन का उल्लेख किया जाएगा।

3.3 आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

3.3.1 अनर्जक अग्रिम

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	*वर्तमान वर्ष*	*पूर्ववर्ती वर्ष*
(i) निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए (%) (ii) एनपीए की गतिविधि (सकल) (क) प्रारंभिक शेष (ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (ग) वर्ष के दौरान कटौती (घ) अंतिम शेष (iii) निवल एनपीए का अंतरण (क) प्रारंभिक शेष (ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (ग) वर्ष के दौरान कटौती (घ) अंतिम शेष (iv) एनपीए के लिए प्रावधानों की गतिविधि (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़ कर) (क) प्रारंभिक शेष (ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट आफ/राइट बैक (घ) अंतिम शेष		

3.3.2 अनर्जक निवेश[5]

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	*वर्तमान वर्ष*	*पूर्ववर्ती वर्ष*
(i) निवल निवेशों पर निवल एनपीआई (%)		
(ii) एनपीआई की गतिविधि (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष		
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग) वर्ष के दौरान कटौती		
(घ) अंतिम शेष		
(iii) निवल एनपीआई की गतिविधि		
(क) प्रारंभिक शेष		
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग) वर्ष के दौरान कटौती		
(घ) अंतिम शेष		
(iv) एनपीआई के लिए प्रावधानों की गतिविधि (मानक आस्तियों से संबन्धित प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष		
(ख) वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान		
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट आफ/राइट बैक		
(घ) अंतिम शेष		

3.3.3 अनर्जक आस्तियां (3.3.1+3.3.2)

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	*वर्तमान वर्ष*	*पूर्ववर्ती वर्ष*
(i) निवल आस्तियों पर निवल एनपीए (अग्रिम + निवेश) (%)		
(ii) एनपीए की गतिविधि (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क) प्रारंभिक शेष		
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग) वर्ष के दौरान कटौती		
(घ) अंतिम शेष		
(iii) निवल एनपीए की गतिविधि		
(क) प्रारंभिक शेष		
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग) वर्ष के दौरान कटौती		
(घ) अंतिम शेष		
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों की गतिविधि (मानक आस्तियों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष		
(ख) वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान		
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का लेखन/प्रतिलेखन		
(घ) अंतिम शेष		

[5] अनर्जक निवेशों को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से कुल निवेशों में वह निवेश शामिल नही होगा जो पूजी पर्याप्तता प्रणाली के अंतर्गत शून्य जोखिम भारांक निर्दिष्ट है।

3.3.4 समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

ए) 07 जून 2019 को जारी परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के माध्यम से 'दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे' द्वारा कवर किए गए एआईएफआई को कार्यान्वित समाधान योजनाओं से संबंधित अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटीकरण करने होंगे। उपर्युक्त परिपत्र के पैराग्राफ 30 के अनुसार, पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण शेयरों के अधिग्रहण को पूंजी बाजार जोखिम, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और अंतर-समूह जोखिम पर विनियामक सीमा/प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। हालाँकि, इसका विवरण एआईएफआई द्वारा अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों के लेखा नोट्स में प्रकट किया जाएगा।

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025 के अंतर्गत प्रकटीकरण

ऋणदाता को अपने वित्तीय विवरणों में, 'लेखों पर टिप्पणियाँ' के अंतर्गत, कार्यान्वित समाधान योजनाओं से संबंधित उचित प्रकटीकरण करना होगा। प्रकटीकरण का प्रारूप नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	मद विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (करोड़ ₹ में)
1	तिमाही के आरंभ में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं।		
2	तिमाही के दौरान स्वीकृत ऐसी परियोजनाएं जिनका कार्यान्वयन किया जा रहा है।		
3	कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं जहां तिमाही के दौरान डीसीसीओ हासिल किया गया है		
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं। (1+2-3)		
5	'4' में से वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार सहित समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, लागू की गई है।		
5.1	'5' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है।		
5.2	'5' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है।		
5.3	'5' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल हो गई है।		
6	'5' खातों में से वे खाते जिनके संबंध में मूल/ विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार सहित समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो,		

	परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण लागू की गई है।		
7	'5' में से, वह खाता जिसके संबंध में मूल/ विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से जुड़ी लागत वृद्धि, जैसा भी मामला हो, वित्तपोषित की गई थी		
7.1	'7' में से वे खाते जहां एसबीसीएफ को वित्तीय समापन के दौरान मंजूरी दी गई थी और लगातार नवीनीकृत किया गया था		
7.2	'7' में से वे खाते जिनमें एसबीसीएफ को पूर्व-स्वीकृत नहीं किया गया था या जिनका लगातार नवीनीकरण नहीं किया गया था		
8	'4' में से वे खाते जिनके संबंध में मूल /विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार को शामिल न करते हुए समाधान प्रक्रिया लागू की गई है, जैसा भी मामला हो।		
8.1	'8' खातों में से जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है।		
8.2	'8' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है।		
8.3	'8' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल हो गई है।		

3.3.5 अनर्जक आस्तियों की गतिविधि

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	*वर्तमान वर्ष*	*पूर्ववर्ती वर्ष*
लेखा अवधि की प्रारम्भिक तिथि तक सकल एनपीए[6] (प्रारम्भिक शेष)		
वर्ष के दौरान अतिरिक्त (नये एनपीए)		
उप जोड़ (क)		
घटाएं:		
(i) उन्नयन		
(ii) वसूली (उन्नत खातों से की गई वसूली को छोडकर)		
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण[7] राइट आफ		
(iv) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत किए गए राइट आफ को छोड़ कर		
उप – जोड़ (ख)		
अगले वर्ष के 31 मार्च तक सकल एनपीए (अंतिम शेष) (क-ख)		

[6] समय-समय पर संशोधित 02 अप्रैल 2024 के अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों के परिपत्र में निर्दिष्ट सकल एनपीए

[7] तकनीकी राइट-ऑफ जैसा कि 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 'समझौता निपटान और तकनीकी राइट-ऑफ के लिए रूपरेखा' में परिभाषित किया गया है।

3.3.6 वसूलियां और बट्टे खाते डालना

(राशि करोड़ ₹ में) *विवरण*	*वर्तमान वर्ष*	*पूर्ववर्ती वर्ष*
1 अप्रैल को बट्टे खाते डाले गए तकनीकी/विवेकपूर्ण खातों का प्रारम्भिक शेष		
जोड़ें: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए तकनीकी/विवेकपूर्ण खाते		
उप-जोड़ (क)		
घटाएं : पूर्व में बट्टे खाते डाले गए तकनीकी/विवेकपूर्ण खातों से वर्ष के दौरान की गई वसूली (ख)		
31 मार्च तक अंतिम शेष (क-ख)		

3.3.7 विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	*वर्तमान वर्ष*	*पूर्ववर्ती वर्ष*
कुल आस्तियां		
कुल एनपीए		
कुल राजस्व		

3.3.8 निवेश पर मूल्यह्रास और प्रावधान

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	*मौजूदा वर्ष*	*पूर्व वर्ष*
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश		
(क) भारत में		
(ख) भारत से बाहर		
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में		
(ख) भारत से बाहर		
(iii) निवल निवेश		
(क) भारत में		
(ख) भारत से बाहर		
(2) निवेश में मूल्यह्रास से संबंधित प्रावधानों की गतिविधि		
i) प्रारम्भिक शेष		
ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान		
iii) वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते से किया गयाविनियोजन, यदि कोई हो,		
iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का राइट आफ/ राइट बैक		

v) घटाएं: निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते में किया गया अंतरण, यदि कोई हो, vi) अंतिम शेष		

3.3.9 प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि करोड़ ₹ में)

'प्रावधान और आकस्मिताओं' का वर्गीकरण लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है:	*मौजूदा वर्ष*	*पूर्व वर्ष*
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
एनपीए के लिए प्रावधान		
आयकर के लिए बनाए गए प्रावधान		
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (ब्योरे सहित)		

3.3.10 प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)

पीसीआर (सकल अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने का अनुपात) का मौजूदा वर्ष और पूर्व वर्ष के लिए कारोबार की समाप्ति पर प्रकटीकरण किया जाएगा।

3.4 निवेश पोर्टफोलियो: संरचना और परिचालन

3.4.1 पुनर्खरीद (रेपो) लेनदेन

(राशि करोड़ ₹ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	*वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया*	*वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया*	*31 मार्च को बकाया*
पुनर्खरीद के तहत प्रतिभूतियां (i)सरकारी प्रतिभूतियां (ii)कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
रिवर्स रेपो के तहत ख़रीदी गई प्रतिभूतियां (i)सरकारी प्रतिभूति (ii)कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				

3.4.2 ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता संरचना का प्रकटीकरण

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र सं.	जारीकर्ता	कुलराशि	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से किया गया निवेश	'निवेश ग्रेड से नीचे' धारित प्रतिभूतियाँ	'अमूल्यांकित' धारित प्रतिभूतियाँ	'गैर सूचीबद्ध' धारित प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पीएसयू					
2.	वित्तीय संस्थाएं					
3.	बैंक					
4.	निजी कॉर्पोरेट					
5	अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम					
6.	अन्य					
7.	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान		XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल*					
#	स्तंभ 3 में केवल प्रावधान की कुल राशि का प्रकटीकरण किया जाना है।					

नोट: (1) * कॉलम 3 के अंतर्गत कुल योग का तुलनपत्र में निम्नलिखित श्रेणियों के निवेशों के कुल योग से मिलान किया जाएगा :

क) शेअर

ख) डिबेंचर एवं बाँड

ग) अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम

घ) अन्य

(2) कॉलम 4,5,6, और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि पारस्परिक रूप से अलग नहीं होगी।

3.4.3 एचटीएम श्रेणी से /को बिक्री एवं अंतरण

यदि एचटीएम श्रेणी को /से बेची और अंतरित की गई प्रतिभूतियों का मूल्य वर्ष की शुरुआत में एचटीएम श्रेणी में किए गए निवेश के बही मूल्य से **5** प्रतिशत से अधिक है, तो वित्तीय संस्थाओं को एचटीएम श्रेणी में किए गए निवेश के बाजार मूल्य का प्रकटन करना चाहिए और जिसके लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं, उस बाजार मूल्य के संबंध में अतिरिक्त बही मूल्य को दर्शाना चाहिए। यह प्रकटीकरण वित्तीय संस्थाओं के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'लेखे पर टिप्पणियां' में दर्ज किया जाना अपेक्षित है।

3.4.4 सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाज़ार मूल्य के संदर्भ में)[8]

...(वर्तमान वर्ष की तुलन-पत्र तिथि)

(राशि करोड़ ₹ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च तक बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ					

जैसा कि... (पूर्ववर्ती वर्ष की तुलन-पत्र तिथि)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च तक बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ					

[8] प्रकटीकरण समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी प्रतिभूति उधार) निदेश, 2023 में निर्दिष्ट अनुसार होगा। संदर्भ की सुविधा के लिए, इस निदेश के जारी होने की तिथि के अनुसार प्रकटीकरण टेम्पलेट यहाँ पुन: प्रस्तुत किया गया है।

3.5. प्रकटीकरण

ऋण एक्सपोजरों का अंतरण[9]

ऋणदाताओं को अपने वित्तीय विवरणों में, 'लेखों के नोट' के अंतर्गत, नीचे निर्धारित अनुसार, अन्य संस्थाओं को/से अंतरित और अर्जित किए गए डिफ़ॉल्ट /दबावग्रस्त ऋणों की कुल राशि से संबंधित, तिमाही आधार पर उचित प्रकटीकरण करना चाहिए:

(i) ऐसे ऋणों के संबंध में जो डिफ़ॉल्ट रूप से अंतरित अथवा अर्जित नहीं किए गए हैं, प्रकटीकरण में अन्य बातों के साथ-साथ भारित औसत परिपक्वता, भारित औसत धारिता अवधि, लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण, मूर्त सुरक्षा कवरेज का समावेशन, तथा रेटेड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण जैसे पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। विशेष रूप से अंतरणकर्ता को उन सभी मामलों का प्रकटीकरण करना चाहिए, जहां वह अंतरितियों को अंतरित ऋणों को बदलने अथवा किसी प्रतिनिधित्व अथवा वारंटी से उत्पन्न होने वाली क्षति का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ हो। प्रकटीकरण में समनुदेशन (असाइनमेंट) /नवीकरण और ऋण भागीदारी के माध्यम से अंतरित/अर्जित ऋणों का विवरण भी प्रदान किया जाना चाहिए।

(ii) अंतरित अथवा अर्जित दबावग्रस्त ऋणों के मामले में, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाने चाहिए:

वर्ष के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग से बनाया जाना है)			
(सभी राशि ₹ करोड़ में)	एआरसी के लिए	अनुमत अंतरित व्यक्तियों के लिए	अन्य अंतरित व्यक्तियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या			
अंतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन			
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि			

[9] ये प्रकटीकरण मूल रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण जोखिमों का अंतरण) निदेश, 2021 में निर्दिष्ट हैं और इन्हें केवल संदर्भ की सुविधा के लिए यहाँ पुन: प्रस्तुत किया गया है। प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर इन निदेशों और भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण जोखिमों का अंतरण) निदेश, 2021 के बीच किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति में, बाद वाले दिशानिर्देश ही मान्य होंगे। लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण करते समय, बैंकों को तुलना की सुविधा के लिए अनिवार्य रूप से चालू और पिछले दोनों वर्षों के आँकड़े प्रदान करने चाहिए।

अंतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (अंतरण के समय)			
समग्र प्रतिफल			
पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त हुआ			
वर्ष के दौरान प्राप्त ऋणों का विवरण			
(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)		एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी सहित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफसी)	एआरसी से
प्राप्त ऋणों का कुल बकाया मूलधन			
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल			
प्राप्त ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि			

अंतरणकर्ता को दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा के संबंध में भी उचित प्रकटीकरण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऋणदाताओं को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में उनके द्वारा धारित एसआर के वितरण का प्रकटीकरण करना चाहिए।

3.6 परिचालनगत परिणाम

विवरण	*वर्तमान वर्ष*	*पूर्ववर्ती वर्ष*
(i) कार्यकारी निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय (ii) कार्यकारी निधियोंकी प्रतिशतता के रूप में गैर ब्याज आय$ (iii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशतता के रूप में परिचालनगत लाभ$ (iv) आस्तियों पर प्रतिफल@ (v) इक्विटी पर लाभांश[10] (vi) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)		

$भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए अनुसार कुल आस्तियों के औसत के रूप में मानी जाने वाली कार्यकारी निधियां (संचित हानि को छोड़कर, यदि कोई हो)

@'आस्तियों पर प्रतिफल औसत कार्यकारी निधियों के संदर्भ में होगा (अर्थात, संचयी हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर कुल आस्तियां)।

3.7 ऋण संकेंद्रण जोखिम

3.7.1 पूंजी बाजार एक्सपोज़र[11]

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी मूल निधि विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेशित नहीं है;		
(ii)	शेयरों/बांडों/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को जमानती आधार पर अग्रिम;		

[10] इक्विटी पर लाभांश की गणना वर्ष के आरंभ में इक्विटी के आरंभिक शेष और वर्ष के अंत में समापन शेष के औसत के आधार पर की जाएगी। आस्तियों पर लाभांश की गणना औसत कार्यशील निधियों (अर्थात संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हो, आस्तियों का कुल योग) के आधार पर की जाएगी, जिसकी गणना पिछले लेखा वर्ष के अंत, उसके बाद के छमाही के अंत और रिपोर्टाधीन लेखा वर्ष के अंत के आंकड़ों के औसत के रूप में की जाएगी।

[11] सूचीबद्ध केपनियों के संबंध में बकाये की पुनर्रचना के लिए, मौजूदा विनियन और सांविधिक अपेक्षाओं के अधीन ऋणदाताओं को उनके हानि/ त्याग के लिए कंपनी की ईक्विटी के अग्रिग निर्गम के द्वारा शुरू से प्रतिपूर्ति दी जाए (निवल वर्तमान मूल्य में खाते के उचित मूल्य में कमी अधिक हो (सीएमई) । यदि ईक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा विनियामक पूंजी बाजार एक्सपोजर(वार्षिक वि ,जाता हैत्तीय विवरण में 'लेखे पर टिप्पणियां' में इसे प्रकट किया जाए। एआईएफआई नीतिगत ऋण पुनर्रचना के भाग के रूप में ईक्विटी में ऋण के परिवर्तन के ब्योरे का अलग से प्रकटन करेंगे जिसे सीएमई सीमा से छूट प्राप्त हो।

(iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है;		
(iv)	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, अर्थात जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है;		
(v)	स्टॉकब्रोकरों को जमानती और गैर-जमानतीअग्रिम तथा स्टॉकब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटी;		
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांड / डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के विरुद्ध अथवा स्वच्छ आधार पर कॉर्पोरेट्स को स्वीकृत ऋण;		
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के विरुद्ध कंपनियों को पूरक ऋण;		
(viii)	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में एआईएफआई द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;		
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉकब्रोकरों को वित्तपोषण ;		
(x)	वेंचर कैपिटल फंड्स (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोजर		
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर		

3.7.2 देश जोखिम के प्रति एक्सपोज़र

(राशि करोड़ ₹ में)

जोखिम की श्रेणी*	एक्सपोजर (निवल) मार्च की स्थिति... (वर्तमान वर्ष)	धारित प्रावधान मार्च की स्थिति... (वर्तमान वर्ष)		धारित प्रावधान मार्च की स्थिति... (पूर्ववर्ती वर्ष)
नगण्य				
निम्न				
मध्यम				
उच्च				
अधिक उच्च				
प्रतिबंधित				
ऑफ-क्रेडिट				
योग				

* एआईएफआई वर्गीकरण और देश जोखिम एक्सपोजर के लिए प्रावधान करने के प्रयोजन से भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) द्वारा अपनाए गए सात श्रेणी के वर्गीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। ईसीजीसी एआईएफआई के अनुरोध पर उन्हें अपने देश वर्गीकरण के त्रैमासिक अपडेट प्रदान करेगा और अंतरिम अवधि में देश वर्गीकरण में अचानक किसी प्रमुख परिवर्तनों के मामलों में सभी बैंकों को भी सूचित करेगा।

3.7.3 विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा – विवेकपूर्ण जोखिम सीमाएँ -एआईएफआई से अधिक जुड़े हुए प्रतिपक्षों का एकल प्रतिपक्ष/समूह

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर[12] सीमा के अलावा एक्सपोजर की संख्या और सीमा[13]

(राशि करोड़ ₹ में)

क. सं.	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट	उद्योग का नाम	क्षेत्र	वापस की गई राशि	वापस न की गई राशि	टियर I पूंजी की प्रतिशतता के रूप में एक्सपोजर
1.								
					कुल	0.00	0.00	0.00%

(ii) टियर I पूंजी की प्रतिशतता के रूप में और कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में एक्सपोजर, निम्न के संबंध में:

* सबसे बड़ा एकल प्रतिपक्ष;

* जुड़े हुए प्रतिपक्षों का सबसे बड़ा समूह ;

* 20 सबसे बड़े एकल प्रतिपक्ष;

* जुड़े हुए प्रतिपक्षों के 20 सबसे बड़े समूह ;

---

[12] भारतीय रिज़र्व बैंक (बासेल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों के परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियम) निदेश, 2023 के अध्याय III के पैरा 22 के अनुसार एक्सपोजर निर्धारित किया जाएगा।

[13] कृपया बताएं कि सीमा का उल्लंघन आरबीआई के पूर्वानुमोदन से अथवा अन्यथा किया गया है।

(iii) पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र को ऋण एक्सपोजर (यदि लागू हो) कुल ऋण आस्तियों को प्रतिशतता के रूप में

(iv) अग्रिमों की कुल राशि जिसके लिए राइट्स प्राधिकार आदि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ,लाइसेंस , उसी प्रकारली गईं हैं जिस प्रकार ऐसे संपार्श्विक की आंकलित कीमत। अन्य पूर्णतः गैर जमानती-ऋणों से ऐसे ऋणों का विभेद करने के लिए अलग शीर्ष के अंतर्गत प्रकटन किया जाएगा।

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बैंक के कुल गैर-जमानती अग्रिम		
उपर्युक्त में से, अग्रिमों की वह राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे अधिकारों पर प्रभार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि लिए गए हैं		
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य		

(v) आढ़त (फैक्टरिंग) एक्सपोज़र

आढ़त (फैक्टरिंग) जोखिमों का अलग से प्रकटीकरण किया जाएगा।

3.7.4 उधार/ ऋण व्यवस्था, ऋण एक्सपोजर और एनपीए का संकेंद्रण (एकल और समेकित स्तर पर अलग से दर्शाया जाए, यदि लागू हो).[14]

(क) उधार तथा ऋण व्यवस्था का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*वर्तमान वर्ष*	*पूर्ववर्ती वर्ष*
बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधार		
एआईएफआई के कुल उधार में बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से उधार का प्रतिशत		

[14] "ऋण एक्सपोजर" में निधीकृत और गैर-निधीकृत ऋण सीमाएं, हामीदारी तथा अन्य इसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी। एक्सपोजर सीमा की गणना के लिए स्वीकृत सीमाएं अथवा बकाया राशि, जो भी अधिक हो, को गिना जाएगा। तथापि, मीयादी ऋणों के मामले में एक्सपोजर सीमाओं को वास्तविक बकाया तथा असंवितरित या अनाहरित प्रतिबद्धताओं के आधार पर गिना जाना चाहिए। तथापि, ऐसे मामलों में, जहां संवितरण अभी शुरू होना शेष है, एक्सपोजर सीमाओं को स्वीकृत सीमा या एआईएफआई द्वारा उधारकर्ता कंपनियों के साथ करार के अनुसार प्रतिबद्धता की सीमा तक गिना जाना चाहिए। एआईएफआई को मौजूदा एक्सपोजर मानदंडों के अनुसार गैर निधीकृत ऋण सीमा में विदेशी मुद्रा में फॉरवर्ड संविदा की ऋण के बराबर राशियां तथा करेंसी स्वैप, ऑप्शन आदि जैसे अन्य व्युत्पन्नी उत्पाद शामिल करने चाहिए।

(ख) ऋण एक्सपोजर का संकेंद्रण *

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	*वर्तमान वर्ष*	*पूर्ववर्ती वर्ष*
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल क्सपोजर		
एआईएफआई के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को एक्सपोजर का प्रतिशत		
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर		
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के संबंध में एआईएफआई के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत		
एक्जिम बैंक के मामले में, कुल एक्सपोजर में शीर्ष दस देशों को एक्सपोजर के योग का प्रतिशत		

* भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश के अनुसार ऋण एक्सपोजर में डेरिवेटिव शामिल हैं।

(ग) एक्सपोजर और एनपीए का क्षेत्र-वार संकेंद्रण

एआईएफआई निम्नलिखित प्रारूप में उन उप क्षेत्रों का प्रकटन भी करेंगे जहां बकाया अग्रिम उप क्षेत्र को कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हो। उदाहरण के लिए, यदि खनन उद्योग को बकाया अग्रिम 'उद्योग' क्षेत्र को कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हो, तो वह उक्त प्रारूप में उद्योग' क्षेत्र के अंतर्गत खनन को अपने बकाया अग्रिमों के ब्योरे का अलग से प्रकटन करेगा।

<u>एक्जिम बैंक</u>

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**क्षेत्र**	**वर्तमान वर्ष**			**पूर्ववर्ती वर्ष**		
		कुल बकाया अग्रिम	**सकल एनपीए**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत**	**कुल बकाया अग्रिम**	**सकल एनपीए**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत**
अ	**घरेलू क्षेत्र**						
1	**कुल निर्यात वित्त**						
	कृषि क्षेत्र						
	औद्योगिक क्षेत्र						
	सेवा क्षेत्र						
2	**कुल आयात वित्त**						
	कृषि क्षेत्र						
	औद्योगिक क्षेत्र						
	सेवा क्षेत्र						
3.	**(अ) में से, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजर**						
आ	**बाह्य क्षेत्र**						

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
1	**कुल निर्यात वित्त**						
	कृषि क्षेत्र						
	औद्योगिक क्षेत्र						
	सेवा क्षेत्र						
2	**कुल आयात वित्त**						
	कृषि क्षेत्र						
	औद्योगिक क्षेत्र						
	सेवा क्षेत्र						
3.	**(ब) में से, भारत सरकार से गारंटीप्राप्त एक्सपोजर**						
इ	**अन्य एक्सपोजर**						
ई	**कुल एक्सपोजर** (अ+आ+इ)						

नाबार्ड

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
I.	**कृषि से जुड़े कार्यों सहित कृषि क्षेत्र**						
1.	**केंद्र सरकार**						
2.	केंद्रीय पीएसयू						
3.	राज्य सरकारें						
4.	राज्य के पीएसयू						
5.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक						
6.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						
7.	सहकारी बैंक						
8.	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)						
II.	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						
	कुल **(I+II)**						

एनएचबी

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	**सकल एनपीए**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत**	**कुल बकाया अग्रिम**	**सकल एनपीए**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत**
I.	**आवास क्षेत्र**						
1.	**केंद्र सरकार**						
2.	केंद्रीय पीएसयू						
3.	राज्य सरकारें						
4.	राज्य के पीएसयू						
5.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक						
6.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						
7.	सहकारी बैंक						
8.	एचएफसी						
8.	निजी क्षेत्र (बैंकों और एचएफसी को छोड़कर)						
II.	वाणिज्यिक रियल स्टेट, यदि कोई हो.[15]						
III.	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						
III	कुल **(I+II+III)**						

सिडबी

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	**सकल एनपीए**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत**	**कुल बकाया अग्रिम**	**सकल एनपीए**	**उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत**
I.	**औद्योगिक क्षेत्र**						
1.	केंद्र सरकार						

[15] वाणिज्यिक रियल स्टेट को एक्सपोजर में वाणिज्यिक रियल स्टेट (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार रहिवासी भवन, बहुत से किरायेदार वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा भंडारण स्थल, होटेल, जमीन अधिग्रहण, विकास और निर्माण, इत्यादि) बंधक (मार्टगेज) की प्रतिभूति प्राप्त प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर शामिल हैं। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित सीमाएं भी शामिल होंगी।

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
2.	केंद्रीय पीएसयू						
3.	राज्य सरकारें						
4.	राज्य पीएसयू						
5.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक						
6.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						
7.	सहकारी बैंक						
8.	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोडकर)						
II	माईक्रो वित्त क्षेत्र						
III	अन्य						
	कुल (I+II+III)						

राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी)। National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID).

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
I.	**औद्योगिक क्षेत्र**						
1.	केंद्र सरकार						
2.	केंद्रीय पीएसयू						
3.	राज्य सरकारें						
4.	राज्य पीएसयू						
5.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक						
6.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						
7.	सहकारी बैंक						
8.	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोडकर)						
II	माईक्रो वित्त क्षेत्र						
III	अन्य						
	कुल (I+II+III)						

3.7.5 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम का प्रबंध करने के लिए एआईएफ़आई अपनी नीतियां प्रकट करेगा। वह इस जोखिम के संबंध में वृद्धिशील प्रावधानीकरण और उनके द्वारा धारित पूंजी का भी का प्रकटीकरण करेगा।

3.8 डेरिवेटिव

3.8.1 वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप

(राशि ₹ करोड़ में)

ब्योरा	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
i. स्वैप करारों का अनुमानित मूलधन		
ii. हानियां, जो काउंटरपार्टी द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में होगी		
iii. स्वैप करार करने पर एआईएफआई द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक		
iv. स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण$		
v. स्वैप बही का उचित मूल्य@		

नोटः ऋण और बाज़ार जोखिम से संबंधित सूचना सहित स्वैप का प्रकार और शर्तों तथा स्वैप को रिकार्ड करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों का भी प्रकटीकरण किया जाएगा।

$ किसी विशेष उद्योग के साथ एक्सपोजर अथवा उच्च जोखिम वाली कंपनियों के साथ स्वैप संकेंद्रण के उदाहरण हो सकते हैं।

@ यदि स्वैप विनिर्दिष्ट आस्तियों, देयताओं, अथवा प्रतिबद्धताओं के साथ संबद्ध है तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो स्वैप करार को रद्द करने पर तुलनपत्र की तारीख को एआईएफआई को प्राप्त होगी अथवा उसके द्वारा भुगतान की जाएगी। ट्रेडिंग स्वैप के लिए उचित मूल्य उसका बाज़ार दर पर मूल्य (मार्क टू मार्केट वैल्यू) होगा।

3.8.2 एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवोटिव

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रसं	ब्योरा	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(i)	वर्ष के दौरान किए गए एक्सचेंज ब्याज दर डेरिवेटिव सौदों की अनुमानिक मूलधन राशि (लिखतवार)		

क्रसं	ब्योरा	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(ii)	एक्सचेंज पर ब्याज दर डेरिवेटिव सौदों की अनुमानिक मूलधन राशि, जो 31 मार्च ...... को बकाया है (लिखतवार)		
(iii)	एक्सचेंज पर ब्याज दर डेरिवेटिव सौदों की आनुमानिक मूलधन बकाया राशि और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखतवार)		
(iv)	एक्सचेंज पर ब्याज दर डेरिवेटिव सौदों का दैनिक बाज़ार दर पर मूल्य (मार्क टू मार्केट वैल्यू) जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखतवार)		

3.8.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

एआईएफआई डेरिवेटिव्स के संबंध में अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों पर चर्चा करेंगे जो विशेष रूप से डेरिवेटिव के उपयोग की सीमा, संबंधित जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में होगी। चर्चा में निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

(क) डेरिवेटिव सौदों में जोखिम प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन,
(ख) जोखिम आकलन, जोखिम रिपोर्टिंग, और जोखिम निगरानी प्रणालियों का दायरा और स्वरूप,
(ग) बचाव (हेजिंग) और/ अथवा जोखिम कम करने की नीतियां तथा बचाव / कम करने में सहायकों के प्रभाव को जारी रखने हेतु निगरानी की प्रक्रिया और
(घ) बचाव व्यवस्था-युक्त और बचाव व्यवस्था रहित लेनदेनों की रिकार्डिंग करने के लिए लेखांकन नीति; आय निर्धारण, प्रीमियम और छूट; बकाया संविदा का मूल्यांकन; प्रावधानीकरण, संपार्श्विक और ऋण जोखिम को कम करना।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रसं	ब्योरा	वर्तमान वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
		करेंसी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	करेंसी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	***डेरिवेटिव*** (आनुमानिक मूलधन राशि)				
	क) बचाव के लिए				
	ख) ट्रेडिंग के लिए				
(ii)	मार्क टू मार्केट स्थितियां [1]				
	क) आस्ति (+)				
	ख) देयता (-)				
(iii)	ऋण जोखिम[2]				

क्रसं	ब्योरा	वर्तमान वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
		करेंसी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	करेंसी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) बचाव डेरिवेटिव पर				
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर				
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया 100*पीवी01 का अधिकतक और न्यूनतम				
	क) बचाव व्यवस्था पर				
	ख) ट्रेडिंग पर				

नोट :

1. प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव के लिए निवल स्थिति आस्ति अथवा देयता, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत दर्शाई जाएगी।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार एआईएफआई डेरिवेटिव उत्पादों के ऋण एक्सपोज़र के आकलन पर वर्तमान एक्सपोजर उपाय अपनाएं।

3.9 एआईएफआई द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) का प्रकटीकरण

एआईएफआई वर्ष के दौरान उनके द्वारा जारी सभी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसी) के संपूर्ण ब्योरों का**,** उनके मूल्यांकित वित्तीय प्रभाव सहित प्रकटीकरण करेंगे, और साथ ही, उनके द्वारा पूर्व में जारी तथा बकाया चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) के अंतर्गत उनके मूल्यांकित संचयी वित्तीय दायित्वों का भी प्रकटीकरण करेंगे।

3.10 आस्ति देयता प्रबंधन

(राशि ₹ करोड़ में)

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीने	3 महीने से ऊपर और 6 महीने तक	6 महीने से ऊपर और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से ऊपर और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से ऊपर और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से ऊपर	कुल
जमाराशियां									
अग्रिम									
निवेश									

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीने	3 महीने से ऊपर और 6 महीने तक	6 महीने से ऊपर और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से ऊपर और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से ऊपर और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से ऊपर	कुल
उधार									
विदेशी मुद्रा आस्तियां									
विदेशी मुद्रा देयताएं									

4. आरक्षित निधि में से आहरण द्वारा कमी

आरक्षित निधि में से आहरण के कारण हुई किसी भी कमी के संबंध में उचित प्रकटीकरण किया जाएगा।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934, के अंतर्गत अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन अथवा अधिनियम की किसी अन्य अपेक्षा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आदेश नियम या शर्त, का अनुपालन न करने पर आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक प्रेस प्रकाशनी जारी की जाएगी, जिसमें दंड लगाए जाने की सूचना सहित उन परिस्थितियों का ब्योरा पब्लिक डोमेन में दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत एआईएफआई पर दंड लगाया गया है।

(ख) संबंधित एआईएफआई की अगली वार्षिक रिपोर्ट में तुलन पत्र के "लेखे पर टिप्पणियां " में दंड का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(ग) विदेशी शाखा के मामले में उसके भारत में परिचालन के लिए अगले तुलनपत्र के "लेखे पर टिप्पणियां" में दंड का प्रकटीकरण किया जाएगा।

6. ग्राहक शिकायतों का प्रकटीकरण

		वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या		
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
(ग)	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या		
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या		

7. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण[16]

वार्षिक लेखा टिप्पणियों में, प्रवर्तकों को विशेष प्रयोजन संस्थाओं (एसपीई) की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि और न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर) का अनुपालन करने के लिए तुलन-पत्र की तिथि तक प्रवर्तक द्वारा प्रतिधारित जोखिमों की कुल राशि दर्शानी चाहिए। ये आँकड़े प्रवर्तक द्वारा एसपीई से प्राप्त एसपीई के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित जानकारी पर आधारित होने चाहिए। ये प्रकटीकरण नीचे दी गई तालिका[17] में दिए गए प्रारूप में किए जाने चाहिए।

(संख्या/राशि करोड़ ₹ में)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च (वर्तमान वर्ष)	31 मार्च (पूर्ववर्ती वर्ष)
1.	प्रवर्तक द्वारा शुरू किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों से संबंधित एसपीवी की यहां रिपोर्ट की जानी है)		
2.	एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि		
3.	तुलन-पत्र की तिथि पर एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजरों की कुल राशि		
	ए) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		
	बी) तुलन-पत्र के एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि		

[16] ये प्रकटीकरण मूल रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 में निर्दिष्ट हैं और इन्हें केवल संदर्भ की सुविधा के लिए यहाँ पुन: प्रस्तुत किया गया है। प्रकटीकरण आवश्यकताओं के संबंध में इन निदेशों और भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 के बीच किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति में, बाद वाले निदेश ही मान्य होंगे।

[17] 'सरल, पारदर्शी और तुलनीय' (एसटीसी) और गैर-एसटीसी लेनदेन के लिए अलग-अलग तालिका प्रदान की जाएगी

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च (वर्तमान वर्ष)	31 मार्च (पूर्ववर्ती वर्ष)
	ए) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		
	बी) तुलन-पत्र के एक्सपोजर i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर • प्रथम हानि • अन्य		
5.	**प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त विक्रय प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि**		
6.	**चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण के बाद आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप और मात्रा (बकाया मूल्य)।**		
7.	प्रदान की गई सुविधा का प्रकटीकरण। कृपया प्रत्येक सुविधा, जैसे ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सेवा एजेंट आदि, के लिए अलग-अलग जानकारी प्रदान करें। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य का प्रतिशत कोष्ठक में लिखें। (ए) भुगतान की गई राशि (बी) प्राप्त पुनर्भुगतान (सी) बकाया राशि		
8.	विगत में देखी गई पोर्टफ़ोलियो की औसत डिफ़ॉल्ट दर। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग, जैसे आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि, के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।		*(पिछले 5 वर्षों की औसत डिफ़ॉल्ट दर का उल्लेख किया जा सकता है)*

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च (वर्तमान वर्ष)	31 मार्च (पूर्ववर्ती वर्ष)
9.	एक ही अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप-अप ऋणों की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग, जैसे आरएमबीएस, वाहन ऋण, आदि के लिए अलग-अलग विवरण प्रदान करें।		
10.	निवेशकों की शिकायतें (ए) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (बी) लंबित शिकायतें		

8. तुलनपत्रेतर प्रायोजित एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिन्हें समेकित किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	विदेशी

9. विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

9.1 लेखांकन मानक 5– निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

यदि आय/ व्यय की गणना सकल आधार पर, अथवा कर पूर्व निवल लाभ के एक प्रतिशत अथवा निवल हानियों, जैसा भी मामला हो, पर की जाती है, तो एआईएफआई यह सुनिश्चित करेगी कि पूर्व अवधि की आय अथवा पूर्व अवधि के व्यय की किसी भी मद, जो एआईएफआई की कुल आय/ कुल व्यय के एक प्रतिशत से अधिक हो के संबंध में एएस 5 का अनुपालन किया गया है, यदि आय की लागत से निवल गिना गया है।

9.2 *लेखांकन मानक 17- खंडवार रिपोर्टिंग*

लेखांकन मानक 17 **- खंडवार रिपोर्टिंग** के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए निर्देशक फॉर्मेट निम्नानुसार है:-

फॉर्मेट

भाग क: व्यवसाय खंड

(राशि करोड़ **₹** में)

व्यवसाय खंड	खजाना		थोक परिचालन (पुनर्वित्त)		थोक परिचालन (प्रत्यक्ष उधार)		अन्य व्यवसाय		कुल	
ब्योरे	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
राजस्व										
परिणाम										
अनाबंटित व्यय										
परिचालन-गत लाभ										
आय कर										
असाधारण लाभ/हानि										
निवल लाभ										
अन्य जानकारी :										
खंडवार आस्तियां										
अनाबंटित आस्तियां										
कुल आस्तियां										
खंडवार देयताएं										
अनाबंटित देयताएं										
कुल देयताएं										

नोटः छायांकित भाग में कोई प्रकटीकरण नहीं किया जाना है

भाग ख : भौगोलिक खंड

(राशि करोड़ ₹ में)

	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	वर्तमान वर्ष	**पूर्ववर्ती वर्ष**	**वर्तमान वर्ष**	**पूर्ववर्ती वर्ष**	**वर्तमान वर्ष**	**पूर्ववर्ती वर्ष**
राजस्व						
आस्तियां						

टिप्पणियां:

क) व्यवसाय खंड को सामान्यतः प्राथमिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट के रूप में माना जाएगा और भौगोलिक खंड द्वितीय रिपोर्टिंग फॉर्मेट होगा।

ख) व्यवसाय खंड में ट्रेजरी', थोक परिचालन (पुनर्वित्त)', थोक परिचालन (प्रत्यक्ष उधार), अन्य व्यवसाय' होंगे।

ग) प्रकटीकरण के लिए देशी' और अंतर्राष्ट्रीय खंड' भौगोलिक खंड माने जाएंगे।

घ) एआईएफआई खंडों के बीच व्यय के आबंटन के लिए उचित और निरंतर आधार पर, अपने स्वयं के उपाय अपनाएंगे।

ड़) ट्रेजरी' में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो शामिल होंगे।

च) अन्य व्यवसाय में अन्य सभी वित्तीय परिचालन शामिल होंगे जो तीन मुख्य मदों के अंतर्गत कवर नहीं हुए हैं। उसमें किसी पैरा बैंकिंग लेनदेन/गतिविधियों सहित अन्य सभी अवशिष्ट परिचालन भी शामिल होंगे।

छ) उपर्युक्त खंडों के अतिरिक्त, एआईएफआई रिपोर्ट करने योग्य खंडों की पहचान करने के लिए एएस 17 में निर्धारित मात्रात्मक मापदंड का पालन करने वाले अतिरिक्त खंडों को रिपोर्ट करेंगे।

9.3 लेखांकन मानक 18 – संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

फॉर्मेट

(राशि करोड़ ₹ में)

मद / संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार)	सहायक	सहयोगी /संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार	कुल
उधार#						
जमा#						
जमाराशियों का नियोजन#						
अग्रिम#						
निवेश#						
गैर निधीकृत प्रतिबद्धताएं#						

मद / संबंधित पक्ष	**मूल (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार)**	**सहायक**	**सहयोगी /संयुक्त उद्यम**	**प्रमुख प्रबंधन कार्मिक @**	**प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार**	**कुल**
ली गई पट्टे की व्यवस्थाएं #						
ली गई पट्टे की व्यवस्थाएं #						
अचल आस्तियों की खरीद						
अचल आस्तियों की बिक्री						
भुगतान किया गया ब्याज						
प्राप्त ब्याज						
सेवाएं प्रदान करना *						
सेवाएं प्राप्त करना *						
प्रबंधन संविदाएं*						

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक

 # वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकटीकरण किया जाएगा

** संविदा सेवाएं आदि, न कि विप्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं आदि जैसी सेवाएं।*

नोट:

(i) *जहां किसी भी श्रेणी में संबंधित पक्षकार की केवल एक इकाई है, वहां एआईएफआई द्वारा संबंधित पक्षकार के साथ संबंध के अतिरिक्त किसी भी ब्योरे का प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा।*

(ii) *एक एआईएफआई के लिए उसके संबंधित पार्टियों में उसकी मूल कंपनी, अनुषंगी कंपनी(नियां), सहयोगी /संयुक्त उद्यम, प्रबंधन कार्मिक (केएमपी), और केएमपी के संबंधीगण शामिल हैं। एआईएफआई के लिए पूर्णकालिक निदेशक केएमपी हैं। केएमपी के संबंधीगण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 (एस) में बताये गये अनुसार होगा।*

(iii) *जहाँ मानक के अर्थ के भीतर नियंत्रण विद्यमान है, संबंधित पार्टी के रिश्ते की प्रकृति और नाम प्रकट करना होगा, इस पर ध्यान न देते हुए कि लेनदेन हुए हैं या नहीं। आम तौर पर नियंत्रण मूल- अनुषंगी कंपनी संबंधों के मामले में मौजूद होता है। प्रकटीकरण उपर्युक्त संबंधित पार्टी श्रेणियों में से प्रत्येक के कुल योग तक सीमित होगा तथा यह वर्ष के अंत की तिथि तथा वर्ष के दौरान अधिकतम स्थिति के संबंध में होगा।*

(iv) *लेखांकन मानक में राज्य द्वारा नियंत्रित उपक्रमों को ऐसी अन्य संबंधित पार्टियों, जो खुद भी राज्य नियंत्रित उपक्रम हैं, से लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण न करने की छूट दी गयी है। इस प्रकार, एआईएफआई को उनकी अनुषंगी कंपनियों या अन्य राज्य-नियंत्रित संस्थाओं के साथ उनके लेनदेन को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।*

(v) *गोपनीयता प्रावधान: यदि संबंधित पार्टियों की उपर्युक्त श्रेणी में से किसी में केवल एक संबंधित पार्टी संस्था हो, तो किसी भी प्रकार का प्रकटीकरण, एआईएफआई के कार्यों को अभिशासित करने वाली प्रासंगिक संविधियों में निर्धारित गोपनीयता से संबंधित, सामान्य गोपनीयता संबंधी कानूनों या विशेष प्रावधानों, यदि कोई हों तो, के उल्लघंन के समान माना जाएगा। एएस 18 के अनुसार, ऐसी परिस्थितियों में प्रकटीकरण अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी, जहां ऐसे प्रकटीकरण उपलब्ध कराने से रिपोर्टिंग उपक्रम द्वारा किसी संविधि, विनियामक अथवा समरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित गोपनीयता के कर्तव्यों के साथ टकराव होता हो। इसके अतिरिक्त, यदि उद्यम को अभिशासित करने वाली किसी संविधि या विनियामक या समरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन सूचनाओं को प्रकट करने पर प्रतिबंध लगाता है, जिनका प्रकटीकरण तो ऐसी सूचनाओं को प्रकट न करना लेखांकन मानक के अनुपालन के विरूद्ध नहीं माना जाएगा। एआईएफआई की ग्राहकों के ब्योरों की गोपनीयता बनाए रखने संबंधी न्यायिक रूप से मान्य सामान्य विधिक कर्तव्यों के कारण उन्हें ऐसे प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त के मद्देनजर, जहां लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटीकरण संबंधित पार्टी के किसी श्रेणी के संबंध में एकत्रित प्रकटीकरण नहीं हैं अर्थात् जहां संबंधित पार्टी की किसी श्रेणी में मात्र एक ही संस्था है, तो एआईएफआई को उस संबंधित पार्टी से संबंध के अलावा उससे संबंधित किसी अन्य विवरण को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।*

10. अपरिशोधित पेंशन और उपदान देयताएं - पेंशन तथा उपदान व्यय के संबंध में पालन की गई लेखांकन नीति का उपयुक्त प्रकटीकरण वित्तीय विवरण के लेखे पर टिप्पणियों (नोट्स टू अकाउंट्स) में किया जाए।